पुलिसकमिश्नरेटलखनऊ

प्रेस नोट सं0-2149

दिनांक 02.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा दिव्यांग युवक की हत्या करने का आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **उधार के 50 हजार रूपये वापस मांगने के विवाद में पूर्व के परिचित द्वारा की गयी थी हत्या।**
- **आलाकत्ल चाकू बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री रामकुमार पासी पुत्र स्व0 शिवराम निवासी ग्राम गदियाना थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा दिनांक 01.09.2025 को सूचना दी कि वादी का भाई पवन उम्र करीब 26 वर्ष दोनों पैर से दिव्यांग है और वह ई-रिक्शा चलाता था। ग्राम गदियाना का ही रहने वाला अभियुक्त मोहित रावत उर्फ रोहित पुत्र स्व0 बंशीलाल के द्वारा करीब 2 साल पहले वादी मुकदमा के दिव्यांग भाई पवन से अपनी बहन की शादी में 50 हजार रुपये उधार लिया गया था। मृतक पवन के द्वारा अभियुक्त से अक्सर अपने पैसों की मांग की जाती थी लेकिन अभियुक्त हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार विवाद भी हुआ था। दो दिन पहले भी जब मृतक के द्वारा अभियुक्त से अपने पैसे मांगे गये तो अभियुक्त के द्वारा पैसे देने से मना कर दिया गया और कहा गया कि मेरे द्वारा तुम्हारा कोई भी रुपया नहीं है। ज्यादा परेशान करोगे तो अंजाम बुरा होगा और ये कहकर चला गया।

दिनांक 01.09.2025 की सुबह अभियुक्त मोहित रावत मृतक पवन के पास गया और उससे कहा कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलवा देता हूं और फिर अभियुक्त मृतक के आटो में बैठकर उसके साथ चला गया। उसके बाद खुजौली-परेहटा मार्ग पर सुनसान जगह पाकर अभियुक्त के द्वारा मृतक पवन का आटो रुकवाकर धारदार हथियार से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गयी।

अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करते हुए कुछ राहगीरों द्वारा देख लिया गया जिसके बाद अभियुक्त वहां से भाग गया। अभियुक्त को दिनांक 01.09.2025 को इन्दिरा नहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू को घटनास्थल के पास झाड़ियों से बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.मोहित रावत उर्फ रोहित पुत्र स्व0 बंशीलाल निवासी ग्राम गदियाना थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 22 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0440/25 धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ

04-बरामदगी:-

- 01 अदद लोहे की चाकू (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

1. SHO श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी (प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज)
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री ऋषभ पाण्डेय
4. हे0का0 राजेन्द्र तिवारी
5. का0 प्रदीप कुमार आर्य
6. का0 बृजेश कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2153
दिनांक 02.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद खोखा कारतूस बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.09.2025 की देर रात्रि को थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा चौकी अमेठी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को मुखबिर खास से अब्बासी वार्ड अमेठी में चल रहे गणेश जागरण/पण्डाल में अवैध असलहा लिये हुए एक युवक के घूमने की सूचना प्राप्त हुई।

सूचना पाकर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर चेक किया गया तो एक युवक संदिग्ध दिखायी दिया जो कि पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा मौके पर युवक को पकड़ लिया गया, जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि मुझे तमंचा रखने का शौक है इसलिये मैं तमंचा लेकर घूमता हूं। अभियुक्त को दिनांक 01/02.09.2025 को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है, जिसे आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सायुज्य अवस्थी उर्फ मानस पुत्र राम आरती अवस्थी निवासी ग्राम शहजादपुर मजरा अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 441/25 धारा 9(1)A(1)/25(2) आर्म्स एक्ट थाना गोसाईगंज, लखनऊ

बरामदगी:-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार त्रिवेदी (चौकी प्रभारी अमेठी)
2. उ0नि0 श्री सुमित बंसल
3. हे0का0 रमाशंकर सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2152

दिनांक- 02.09.2025

जोन- उत्तरी / माल लखनऊ

- **मंदिर का घण्टा चोरी करने वाला 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी का घण्टा बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.09.2025 को वादी श्री मुन्नन पुत्र बाबा तेली नि0 कस्बा व थाना माल लखनऊ उपस्थित थाना आकर बाबत दिनांक 01.09.2025 की रात्रि माल सब्जी मण्डी बाजार के पास स्थित ब्रम्हदेव मन्दिर से घण्टा चोरी के सम्बन्ध में थाना माल में मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2) बनाम अज्ञात के विरुध्द पंजीकृत कराया गया।

आज दिनांक 02.09.2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति शाहमऊ पुलिया पर एक प्लास्टिक की बोरी में मन्दिर का घण्टा लिए जा रहा है इस पर हम पुलिस वाले शाहमऊ पुलिया पर पहुंचकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम निर्मल सिंह पुत्र अचल सिंह नि0 ग्राम अटवा हुसिया थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष बताया। जामा तलाशी ली गयी तो एक प्लास्टिक की बोरी में 01 अदद पीतल का घण्टा बरामद हुआ। बरामद घण्टा के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मैने यह घण्टा बीती रात को सब्जी मण्डी माल के पास ब्रम्हदेव मन्दिर से चुराया था जिसको बेचने के लिए जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। अभियुक्त निर्मल उपरोक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए आज दिनांक 02.09.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-निर्मल सिंह पुत्र अचल सिंह नि0 ग्राम अटवा हुसिया थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष

03 बरामदगी -

- 01 अदद मन्दिर का घण्टा (पीतल का वजन 1.5 किग्रा0)

04-अभियुक्त निर्मल सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 165/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
2. मु0अ0सं0 254/22 धारा 18/20 NDPS एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
3. मु0अ0सं0 204/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
4. मु0अ0सं0 7/25 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
5. मु0अ0सं0 282/25 धारा 305(d)/317(2) बीएनएस थाना सफीपुर जनपद उन्नाव
6. मु0अ0सं0 229/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना माल लखनऊ **(अनावरित अभियोग)**

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल लखनऊ

1. उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश
2. उ0नि0 श्री मो0 रोशन
3. का0 प्रदीप कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2154
दिनांक- 02.09.2025

जोन- उत्तरी / थाना - माल

- **थाना माल पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय कोर्ट नं.- 04 लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 2407/2023 अ0सं0 125(3) सीआरपीसी थाना माल जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त महेश पुत्र रामऔतार नि0 ग्राम रामनगर लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त के घर ग्राम रामनगर से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- सम्बन्धित वाद संख्या-

1. वारण्ट वाद संख्या 2407/2023 अ0सं0 125(3) सीआरपीसी थाना माल लखनऊ

03-गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण:

1. महेश पुत्र रामऔतार नि0 ग्राम रामनगर थाना माल लखनऊ उम्र 25 वर्ष (मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल लखनऊ

1. उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह
2. का0 अवधेश सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2148
दिनांक 02.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **वादी को कार में बंधक बनाकर नगदी व ऑनलाइन रूपये लेने के आरोपी 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।**
- **लिये हुये रूपयों में से 15,000/- रूपया व घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन एवं 01 अदद वाहन स्विफ्ट कार बरामद ।**
- **अपराध शाखा लखनऊ व थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम की कार्यवाही ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 30.08.2025 को आवेदक श्री हम्माद अली पुत्र श्री हामिद अली निवासी पोस्ट पिपरा मिल कस्बा व थाना हरगाँव जनपद सीतापुर द्वारा बावत अज्ञात कार चालक व उसके दो अज्ञात साथियों द्वारा वादी को अपनी गाडी में बैठाकर मारपीट करने, वादी की जेब से 15,000 /- रूपये निकाल लेने तथा जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल पर 20,000/- रूपये आनलाइन मंगवाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 522/2025 धारा 127(2)/115(2)/351(3)/ 308(5)/303(2) बीएनएस बनाम 1. अज्ञात कार चालक नाम पता अज्ञात एवं 2. उसके दो साथी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

दिनांक 01.09.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में अन्दर इलाका थाना हाजा में मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि साहब ककौली रोड एल्डिको रिगालिया के पीछे 04 व्यक्ति एक सफेद रंग की कार में बैठे हैं आपके द्वारा जो वीडियो दिखाया गया था उस फोटो से काफी हद तक तीन लोगों का चेहरा व शारीरिक बनावट मिल रही है यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मो0 रिजवान उम्र करीब 29 वर्ष एवं दूसरे ने अपना नाम गुफरान उम्र करीब 27 वर्ष, तीसरे ने अपना नाम मो0 शान उर्फ सुहेल उम्र करीब 19 वर्ष एवं चौथे ने अपना नाम अजय कुमार यादव उर्फ मुनेन्द्र कुमार यादव उम्र करीब 22 वर्ष बताया। पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से फिरौती में लिये हुये रूपये में से 15,000/- रूपया व घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन एवं 01 अदद वाहन स्विफ्ट कार सं0- UP32HD0199 रंग सफेद बरामद हुए। साक्ष्य संकलन के आधार पर पकड़े गये उपरोक्त चारों व्यक्तियों का नाम मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाते हुये एवं धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 127(2)/115(2)/351(3)/140(2)/303(2)/61(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा **घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट कार सं0- UP32HD0199 को माल मुकदमाती सीज किया गया।** दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर बंधक बनाकर पैसे की मांग करना व जान से मारने की धमकी देते हुए उससे फिरौती की रकम 20 रकम आनलाइन मंगवाने के बाद छोड़ना तथा फिरौती के रूपयो को आपस में बाँट लेना जिनमें से कुछ रूपये अपने खाने पीने में खर्च कर देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मो0 रिजवान पुत्र रमजान अली उम्र करीब 29 वर्ष निवासी- न्यू बस्ती तिवारीपुर जामा मस्जिद के आगे छठामील थाना बीकेटी लखनऊ (व्यवसाय – पन्नी बेचने का काम)
2. गुफरान पुत्र रमजान अली उम्र करीब 27 वर्ष पता वासी- न्यू बस्ती तिवारीपुर जामा मस्जिद के आगे छठामील थाना बीकेटी लखनऊ (व्यवसाय –पन्नी बेचने का काम)
3. मो0 शान उर्फ सुहेल पुत्र मो0 वसीम उम्र करीब 19 वर्ष पता निवासी- न्यू बस्ती तिवारीपुर जामा मस्जिद के आगे छठामील थाना बीकेटी लखनऊ (व्यवसाय –बक्शा बनाने का काम)
4. अजय कुमार यादव उर्फ मुनेन्द्र कुमार यादव पुत्र सियाराम यादव उम्र करीब 22 वर्ष पता सीताकुण्ड वार्ड नं0 4 कस्बा व थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर हालपता- किराये का मकान हनुमान गौतम अहलादपुरवा थाना सैरपुर लखनऊ (व्यवसाय –मजदूरी)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुफरान पुत्र रमजान अली उपरोक्त-

01.मु0अ0सं0 290/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बन्थरा लखनऊ

02.मु0अ0सं0 227/2022 धारा 34/392/411/413/414 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ

03.मु0अ0सं0 254/2022 धारा 379/411 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ

04.मु0अ0सं0 255/2022 धारा 411 भादवि थाना तालकटोरी लखनऊ

04-बरामदगी:-

- फिरौती में लिये हुये रूपये में से 15,000/- रूपया
- घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद वाहन स्विफ्ट कार सं0- UP32HD0199 रंग सफेद

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

अपराध शाखा लखनऊ टीमः-	थाना मड़ियांव टीम
01. उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय	01. उ0नि0 श्री सदरूद्दीन खान
02. उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह	02. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह
03. उ0नि0 श्री मो0 असलम	03. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
04. हे0का0 अतुल कुमार पाण्डेय	04.उ0नि0 श्री शुभम तिवारी
05. हे0का0 इंद्रप्रताप सिंह	05.उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह
06. हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला	06. हे0कां0 कमलेश वर्मा
07. हे0का0 हबीब खान	07. कां0 मंजीत सिंह
08. हे0का0 अमित कुशवाहा	
09. हे0का0 दिलीप कुमार	
10. हे0का0 जीत सिंह	
11. का0 देशराज मुखिया	
12. का0 नाहर सिंह	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2150
दिनांक- 02.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला 01 नफर बाल अपचारी को निगरानी/हिरासत पुलिस मे लिया ।**
- **वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को किया सकुशल वरामद ।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.08.2025 को वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर को भगा ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.09.2025 को वादिनी मुकदमा तहरीरी सूचना के आधार पंजीकृत मु0अ0स0 188/2025 धारा 137(2)/87/351(2) बीएनएसएस पंजीकृत किया गया ।

सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा डी0सी0पी0 उत्तरी व ए0सी0पी0 मलिहाबाद के मार्ग दर्शन व दिशा निर्देशन पर मुजासा तिराहा मलिहाबाद के पास से आज दिनांक 02.09.2025 को मुखबिर खास के सूचना पर अपचारी किशोर निगरानी/हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को किया सकुशल बरामद।

अपचारी किशोर उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा पीडिता/अपहता का मेडिकल कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-अपराध कारित करने का तरीका

अपचारी किशोर द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व वादिनी कदमा को जान से मारने की धमकी देना ।

03- निगरानी मे लिये गये अपचारी-

बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष (पढाई करता है)

04-बरादमगी-

जामा तलाशी से 200 रुपये व नाबालिग पीडिता बरामद ।

05. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना मलिहाबाद लखनऊ
2. का0 सुबास थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
3. म0का0 प्रमिला देवी थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2151
दिनांक-02.09.2025

जोन- पूर्वी / थाना- विभूतिखण्ड

- **साइबर हाइट के पास थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड में पिस्टल/असलहे से प्राणघातक हमले की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्तों को पुलिस उपायुक्त पूर्वी की क्राइम टीम व थाना विभूतिखण्ड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **वांछित अभियुक्तों द्वारा पीड़ित को रास्ते में रोककर पीड़ित पर पिस्टल/असलहे के दम पर प्राणघात हमला किया गया था।**
- **घटना मे संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अन्य की तलाश जारी है।**
- **घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध पिस्टल व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

थाना विभूतिखण्ड पर दिनांक 30.08.2025 को वादी मुकदमा हम्ज़ा खान पुत्र इद्रीस खान निवासी-332/169 अकबरी गेट निकट टुण्डे कवाबी थाना चौक लखनऊ की तहरीरी सूचना बाबत विपक्षीगण द्वारा वादी के साथ मारपीट करने व धमकी देने तथा जान से मारने की नियत से बन्दूक से हमला करने जिससे वादी के मूर्छित हो जाने व वादी की कार का शीशा तोड़ देने विषयक के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0322/2025 धारा 109/117(1)/191(2)/324(4)/351(3) बीएनएस बनाम अजीत पाण्डेय व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

उक्त घटना के अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण महोदय के निर्देशन में तत्काल टीमों का गठन किया गया, गठित टीमों द्वारा टेक्निकल व मैनुअल प्रयासों से दिनांक 01.09.2025 को घटना में संलिप्त वांछित 02 नफर अभियुक्तों को एसएसबी भवन के आगे मन्दिर वाली गली के पास थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना के दिन घटना में प्रयुक्त 02 अदद अवैध पिस्टल व 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि बीते दिनों हम लोग सम्मिट बिल्डिंग के द हाइप रूम बार में पार्टी करने गये थे जहाँ हमारा विवाद वहाँ के कर्मी हमजा से हो गया था, जिसको लेकर हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 30.08.2025 को जबरन हमजा को रास्ते में रोककर पिस्टल/असलहे के दम पर उस पर जान से मारने की नियत प्राणघात हमला किया। हम लोग पुलिस के डर से छिप-छिपाकर भागने के प्रयास कर रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 61(2)/238 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। पकड़े गये अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

बीते दिन में सम्मिट बिल्डिंग के द हाइप रुम में पार्टी के दौरान हुए कहासुनी के चलते अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपना वर्चस्व व गुण्डई स्थापित करने लिये वादी मुकदमा/पीड़ित को साइबर हाइट के पास रास्ते में रोककर उस पर असलहे/पिस्टल के दम पर प्राणघातक हमला व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजीत पाण्डेय पुत्र अनिल पाण्डेय निवासी आदर्शनगर मटियारी म0न0 633/1005 खण्ड-01 थाना चिनहट लखनऊ उम्र 25 वर्ष
2. जय प्रकाश यादव पुत्र स्व0 राजेश यादव निवासी म0न0 22 बृजमोहन पुरी कालोनी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 28 वर्ष

04-बरामदगी-

- 02 अदद अवैध देसी पिस्टल .32 बोर
- 04 अदद अवैध जिन्दा कारतूस .32 बोर

05-अनावरित अभियोगों का विवरणः

1. मु.अ.सं. 0322/2025 धारा 109/117(1)/191(2)/324(4)/351(3)/61(2)/238 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ

06-अभियुक्त अजीत पाण्डेय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 0762/2017 धारा 34/323/354(ख)/376/504/509 भादवि थाना चिनहट, लखनऊ
2. मु.अ.सं. 0335/2022 धारा 323/342 भादवि थाना चिनहट, लखनऊ
3. मु.अ.सं. 0322/2025 धारा 109/117(1)/191(2)/324(4)/351(3)/61(2)/238 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ

07-अभियुक्त जय प्रकाश यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु.अ.सं. 0562/2016 धारा 504 भादवि व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि. व 7 दंडविधि अधि. थाना कोतवाली, जनपद बाराबंकी
2. मु.अ.सं. 0053/2019 धारा 201/302 भादवि थाना देवा, जनपद बाराबंकी
3. मु.अ.सं. 0188/2025 धारा 351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर
4. मु.अ.सं. 0322/2025 धारा 109/117(1)/191(2)/324(4)/351(3)/61(2)/238 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ

नोट- अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थाना/इकाई/जनपद से की जा रही है।

08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी की क्राइम टीम	थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम
1. उ.नि. श्री अमरनाथ चौरसिया,	1. नि. श्री अमित कुमार सिंह,
2. हे.का. संदीप पाण्डेय,	2. उ.नि. श्री इरशाद अहमद,
3. कां. तरनजीत सिंह,	3. उ.नि. श्री असित कुमार यादव,
4. कां. विमल चंद पाल,	4. उ.नि. श्री राजेश यादव,
5. कां. प्रदीप कुमार,	5. उ.नि. श्री संदीप गौर,
6. कां. शिवानन्द खरवार,	6. उ.नि. श्री शिवम कुमार।
7. कां. अजय कुमार यादव।	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2155
दिनांक-02.09.2025

जोन-पश्चिमी/थाना काकोरी

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना काकोरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) व श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा श्री शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 प्रवीण कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-07 महोदय लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 02.09.2025 सम्बन्धित, मु0अ0सं0 356/12 वाद संख्या 881/2013 धारा 302 भादवि थाना काकोरी लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. कल्लन पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी हाता गुलाम सफदर थाना काकोरी लखनऊ 2. सरवन उर्फ सन्तलाल पुत्र श्री राम निवासी जेहटा थाना काकोरी(वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ 3.पवन पुत्र भीखा निवासी लीलाखेडा कटौली थाना काकोरी (वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक दोषी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीनों अभियुक्तो को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

02-नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

01-कल्लन पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी हाता गुलाम सफदर थाना काकोरी लखनऊ
02-सरवन उर्फ सन्तलाल पुत्र श्री राम निवासी जेहटा थाना काकोरी(वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ
03-पवन पुत्र भीखा निवासी लीलाखेडा कटौली थाना काकोरी (वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ

03-कार्यवाही का विवरण -

मुकदमा वादी श्री राजेन्द्र पुत्र लाला निवासी हाता गुलाम सफदर के द्वारा दिनांक 07.10.2012 को अज्ञात लोगो द्वारा वादी की बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी जिसके आधार पर मु0अ0सं0 356/12 धारा 302 भादवि थाना काकोरी लखनऊ बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तत्कालीन विवेचक श्री धीरेन्द्र यादव द्वारा विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त कल्लन पुत्र स्व0 सुन्दरलाल आदि 03 नफर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 08.11.2012 को आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन था मुकदमा उपरोक्त में सजा दिलाने में वादी मुकदमा, मृतका की बहन विवेचक व अभियोजन पक्ष पैरोकार के द्वारा अहम भूमिका निभायी गयी। माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-07 द्वारा दिनांक 02.09.2025 को अभियुक्तगण 01-कल्लन पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी हाता गुलाम सफदर थाना काकोरी लखनऊ 02-सरवन उर्फ सन्तलाल पुत्र श्री राम निवासी जेहटा थाना काकोरी(वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ 03-पवन पुत्र भीखा निवासी लीलाखेडा कटौली थाना काकोरी (वर्तमान थाना दुबग्गा) लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक दोषी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कठोर कारावास एवं 10000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीनो अभियुक्तों को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

04-पैरवीकर्ता-

01. प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ

02. पैरोकार का0 प्रवीण कुमार थाना काकोरी लखनऊ